दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

निबन्धन प्रमाण–पत्र

(नियम 11 के अधीन–प्रपत्र–च)

[उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया]

प्रमाणित किया जाता है कि ...दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि० नगला हेविया... को सहकारी समिति के रुप में निबन्धित करने के लिए श्री ...मती कृष्णा देवी... अन्य द्वारा, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या 11, 1966) की धारा 6 के अधीन दिया गया प्रार्थना–पत्र स्वीकृत किया गया है। और उक्त समिति (निबन्धन के लिये प्रार्थना–पत्र के साथ प्रेषित उप–विधियों सहित) उक्त अधिनियम के अधीन, उक्त प्रार्थना–पत्र उल्लिखित शर्तो और उक्त अधिनियम, तदन्तर्गत बनी नियमावली और जारी किये गये सामान्य या विशेष आदेशों तथा उक्त सतिति की उपविधियों के उपबन्धो के अधीन रहते हुये ...मथुरा... जिले की संख्या ...202... के रुप में निबन्धित की गई है।

(मुहर)

दिनांक 200 02/07/2018

निबंधक
क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी
दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश
आगरा/अलीगढ़ मंडल

उपविधियों के संशोधन के सम्बन्ध में पृष्ठांकन :

संशोधन उप–विधि का अभिदेश	संशोधन के निबन्धन का दिनांक	हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4

1. प्रस्तावित का पूरा नाम उल्लिखित किया जाये।
2. रिक्त स्थान समिति का संशोधित नाम अभिलिखित करने के लिये है, यदि नाम परिवर्तन धारा 10 के अधीन दिया जाये।